



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1226।

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 2, 2017/वैशाख 12, 1939

No. 1226।

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 2, 2017/VAISAKHA 12, 1939

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2017

का.आ. 1389(अ).—केन्द्रीय सरकार, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का 25) की धारा 29 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का.आ. 89(अ), तारीख 13 जनवरी, 2014 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 'ए' के मद संख्यांकों (i) से (v) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद संख्यांक और प्रविष्टियां रखीं जाएंगी, अर्थात्:-

- (i) श्री भगवत प्रसाद मकवाना
- (ii) श्रीमती अंजना पंवार
- (iii) श्री राम सिंह बाल्मीकि
- (iv) श्री राज कुमार पाठी
- (v) श्री हंसराज नरवले
- (vi) कुमारी ममता छिका"।

[फा.सं. 19014/66/13-एससीडी-IV]

गृ. वेंकटेस्वरलू, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्यांक का.आ. 89(अ), तारीख 13 जनवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् संख्यांक का.आ. 605(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014, संख्यांक का.आ. 2008(अ), तारीख 7 अगस्त, 2014 और संख्यांक 476(अ), तारीख 16 फरवरी, 2017 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2017

S.O. 1389(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 29 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (25 of 2013), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Social Justice and Empowerment, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.89(E), dated the 13th January, 2014, namely:-

In the said notification, in paragraph G, for item numbers (i) to (v) and the entries relating thereto, the following item numbers and entries shall be substituted, namely:-

- (i) Shri Bhagwat Prasad Makwana,
- (ii) Smt. Anjana Panwar,
- (iii) Shri Ram Singh Balmiki,
- (iv) Shri Raj Kumar Pathi,
- (v) Shri Hansraj Narwale,
- (vi) Kumari Mamta Dhika".

[F. No. 19014/66/13-SCD-IV]

U. VENKATESWARLU, Jr. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 89 (E), dated the 13th January, 2014 and subsequently amended vide number S.O. 605 (E), dated the 28th February, 2014, number S.O. 2008(E), dated the 7th August, 2014 and S.O. 476 (E), dated 16th February, 2017.